उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

ज्ञापन

क्रमांक D / 1492 जबलपुर, दिनांक 16 फरवरी, 2018
III-1-5/57 Ch. 20 A

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
..... (म.प्र.)
(समस्त)

विषय :– पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 की धारा 25 के अंतर्गत प्रकरणों में न्यायालय शुल्क हेतु प्रावधान के संबंध में।

संदर्भः– सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल म.प्र. का पत्र कमांक 15871/207/21–अ.प्रा./2017 दिनांक 29.09.2017.

– – –

यथानिर्देश उपरोक्त संदर्भित विषयक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल म.प्र. द्वारा पत्र कमांक 15871/207/21–अ.प्रा./2017 दिनांक 29.09.2017 रजिस्ट्री की ओर प्रेषित करते हुये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 की धारा 25 (5) की विधिक स्थिति स्पष्ट करते हुए लेख किया गया है कि :–

"चेक अनादरण के अपराध के संबंध में परिवाद पर न्यायालय फीस अधिनियम 1899 की अनुसूची 2 की प्रविष्टि 1 (बी) के अनुसार विहित न्यायालय शुल्क देय है। इसलिए इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रांसफर के अनादरण के अपराध के परिवाद पर ठीक उसी तरह न्यायालय शुल्क देय होगा जिस प्रकार से चेक अनादरण के अपराध के परिवाद पर देय है। अर्थात् इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रांसफर के अनादरण के अपराधों के लिए न्यायालय फीस अधिनियम 1899 की अनुसूची 2 की प्रविष्टि 1 (बी) के प्रावधान लागू होंगे"

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विधिक स्थिति से आपके अधीनस्थ सभी न्यायाधीशों को अवगत कराने का कष्ट करें।

16/02/18
(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार(डी0ई0)

o/c

:--: